राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 5770/2021

रामेश्वर प्रसाद कुम्हार **—अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पीएचईडी, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जल भवन, जेकब रोड, रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, पीएचईडी, सर्किल, अजमेर।
4. सहायक अभियंता, पीएचईडी, सब डिवीजन, Sarwar Kekri, अजमेर।
5. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.10.2021
आदेश की दिनांक : 08.02.2024

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.03.2021 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी की पेंशन एवं पेशनर्स लाभों से जो राशि काटी गई है, उसे वापिस लौटाई जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :—

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति हैल्पर के पद पर हुई थी और उसे फीटर द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया तथा दिनांक 31.10.2020 को अपीलार्थी सेवानिवृत्त हो गया और सेवानिवृत्ति पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा अपीलार्थी से दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 3600 के स्थान पर ग्रेड पे 2800 स्वीकृत की जाकर आगे की वार्षिक वेतन वृद्धियां संशोधित किए जाने के फलस्वरूप ग्रेच्युटी से अधिक वेतन भुगतान की वसूली के

आदेश जारी किए गए। उनका कथन है कि अपीलार्थी से उक्त वसूली सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद आदेश जारी किए गए हैं। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में मौखिक एवं लिखित रूप से विभाग के समक्ष अनुरोध किया तथा दिनांक 12.08.2021 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.03.2021 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी की पेंशन एवं पेशनर्स लाभों से जो राशि काटी गई है, उसे वापिस लौटाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक के पद पर दिनांक 01.12.1982 को हुई थी और दिनांक 01.04.1985 को कार्य प्रभारित सहायक के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित किया गया और आदेश दिनांक 18.09.2018 के द्वारा अपीलार्थी को फीटर ग्रेड द्वितीय के पद पर पदस्थापित किया गया और दिनांक 31.10.2020 को अपीलार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। अपीलार्थी को वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.10.2017 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01.07.2013 को ग्रेड पे 3600 के स्थान पर संशोधित ग्रेड पे 2800 स्वीकृत कराकर दिनांक 01.07.2015 को वेतन स्थिर करते हुए नवीन वेतनमान में रूपये 39,800/– पर वेतन स्थिर करते हुए देय स्वीकृत वेतन वृद्धियां भी संशोधित करते हुए दिनांक 01.07.2020 को वेतन रूपये 46,100/– पर स्थिर करते हुए प्रकरण संशोधित कर अधिक हुए भुगतान राशि रूपये 1,02,863/– की वसूली अपीलार्थी की ग्रेच्युटी से प्रस्तावित की गई और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 02.03.2021 आदेश जारी किया गया, जो विधि एवं नियमों के अनुरूप है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति हैल्पर (दैनिक वेतन भोगी) के पद पर हुई थी और दिनांक 01.04.1985 को कार्य प्रभारित सहायक के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित किया गया और आदेश दिनांक 18.09.2018 के द्वारा अपीलार्थी को फीटर ग्रेड द्वितीय के पद पर पदस्थापित किया गया और दिनांक 31.10.2020 को अपीलार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा अपीलार्थी से दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 3600 के स्थान पर ग्रेड पे 2800 स्वीकृत की जाकर आगे की

वार्षिक वेतन वृद्धियां संशोधित किए जाने के फलस्वरूप ग्रेच्युटी से अधिक वेतन भुगतान की वसूली के आदेश जारी किए गए। जहां तक अपीलार्थी के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य वसूली आदेश जारी किए जाने का प्रश्न है, ऐसे मामलों में कार्मिकों को पूर्व में भुगतान की गई राशि की वसूली किए जाने के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** के प्रकरण में कार्मिक को भुगतान की गई राशि के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं :–

"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.

(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee. would be iniquitious or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

यह कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** वाले प्रकरण में यह अवधारित किया है कि इस प्रकार मामलों में वसूली नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी ने कभी भी कोई misrepresentation या धोखाधड़ी नहीं की है। इस कारण उसको जो भुगतान किया गया है, वह नियमानुसार किया गया है। उसकी वसूली किया जाना अवैधानिक है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.03.2021 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि यदि अपीलार्थी से उक्त आदेश दिनांक 02.03.2021 की पालना में उसके ग्रेच्युटी/पेंशन आदि से राशि वसूल की गई हो तो वसूली गई राशि को अपीलार्थी को नियमानुसार वापिस लौटाई जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य